

महान्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट चौमू, जिला जयपुर  
पीठासीन अधिकारी :- संतोष करोल  
वाद सं. 165/2011

**उनवान**

1. श्रीमती कमली देवी पत्नी श्री रामेश्वर लाल
2. श्री सुरेश कुमार यादव पुत्र श्री रामेश्वर लाल
3. श्री तोफानसिंह पुत्र श्री रामेश्वर लाल
4. श्रीमती कविता यादव पत्नी श्री रामेश्वर लाल

रामरत जाति अहीर निवासीयान- भोमाला की ढाणी, दौलत शाह बाबा के सामने  
जयपुर रोड, चौमू जिला जयपुर (राज.)।

**वादीगण**

**बनाम**

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलसदार, चौमू
2. सय रजिस्ट्रार, चौमू

**प्रतिवादीगण**

**वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 एवं 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

निर्णय दिनांक:- 12.09.2019

पत्रावली पेश हुई। वादीगण ने वाद पत्र इस आशय का पेश किया है वाके  
ग्राम मोरीजा पटवार हल्का मोरीजा ए इन्सपेक्टर लेण्ड रिकार्ड हल्का चौमू के खसरा  
नम्बर 775 रकबा 1.49 हैक्टसर, ख. नं. 776 रकबा 0.75 है0, जिसमें वादीगण के पूर्वज  
बोदूराम का हिस्सा 1/3 था एवं अब सजरा के भुताबिक वादीगण का हिस्सा 1/21 है,  
उक्त ग्राम मोरीजा का ही ख. नं. 764/2 रकबा 2.11 है0, ख. नं. 770 रकबा 0.38 है0,  
एवं ख. नं. 772/2 रकबा 0.82 है0 जिसमें वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 1/6  
था एवं वादीगण का हिस्सा 1/42 है। ग्राम चौमू पटवार हल्का चौमू बी इन्सपेक्टर लेण्ड  
रिकार्ड चौमू के ख. नं. 7040 रकबा 0.32 है0 एवं ख. नं. 7041 रकबा 0.66 है0 में  
वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था वादीगण का हिस्सा 1/42 है एवं उक्त  
ग्राम चौमू के ही खसरा नम्बर 7044 रकबा 0.12 हैक्टसर एवं खसरा नम्बर 7075 रकबा  
0.14 में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था जिसमें वादीगण का हिस्सा  
1/42 है तथा उक्त ग्राम चौमू के ही खसरा नम्बर 6998 रकबा 0.13 हैक्टसर में  
वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, वादीगण का हिस्सा 1/42 है। खसरा  
नम्बर 7000 रकबा 0.05 हैक्टसर में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था,  
वादीगण का हिस्सा 1/42 है। खसरा नम्बर 7013 रकबा 0.27 हैक्टसर में वादीगण के  
पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, वादीगण का हिस्सा 1/42 है। खसरा नम्बर 7015  
रकबा 0.11 है0 में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42, वादीगण का हिस्सा  
1/42 है। खसरा नम्बर 7016 रकबा 0.09 है0 में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा  
7/42 था, वादीगण का हिस्सा 1/42 है। खसरा नम्बर 7017 रकबा 0.08 है0 में  
वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, वादीगण का हिस्सा 1/42 है। खसरा  
नम्बर 7018 रकबा 0.05 है0 में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था,

उपखण्ड अधिकारी  
चौमू, जिला जयपुर

वादीगण का हिस्सा 1/42 है। खसरा नम्बर 7019 रकबा 0.18 है 0 में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, वादीगण का हिस्सा 1/42 है। खसरा नम्बर 7020 रकबा 0.25 है 0 में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, वादीगण का हिस्सा 1/42 है। खसरा नम्बर 7021 रकबा 0.53 है 0 में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, वादीगण का हिस्सा 1/42 है। खसरा नम्बर 7024 रकबा 0.11 है 0 में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, वादीगण का हिस्सा 1/42 है। खसरा नम्बर 7025 रकबा 0.01 है 0 में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, वादीगण का हिस्सा 1/42 है। खसरा नम्बर 7026 रकबा 0.30 है 0 में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, वादीगण का हिस्सा 1/42 है। खसरा नम्बर 7031/7968 रकबा 0.08 है 0 में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, वादीगण का हिस्सा 1/42 है। खसरा नम्बर 7032 रकबा 0.45 है 0 में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, वादीगण का हिस्सा 1/42 है। खसरा नम्बर 7175 रकबा 0.19 है 0 में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, वादीगण का हिस्सा 1/42 है। खसरा नम्बर 7176 रकबा 0.31 है 0 में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, वादीगण का हिस्सा 1/42 है। खसरा नम्बर 7187 रकबा 0.14 है 0 में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, वादीगण का हिस्सा 1/42 है। खसरा नम्बर 7787/7334 रकबा 0.16 है 0 में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, वादीगण का हिस्सा 1/42 है। खसरा नम्बर 7188 रकबा 0.12 है 0 में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, वादीगण का हिस्सा 1/42 है। खसरा नम्बर 7189 रकबा 0.20 है 0 में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, वादीगण का हिस्सा 1/42 है।

वादीगण के पूर्वज बोदूराम की मृत्यु के पश्चात नामान्तकरण में वादीगण का नाम दर्ज नहीं किया जाकर उनके पुत्र रामेश्वर लाल का नाम दर्ज कर दिया गया है।

उक्त श्री बोदूराम की मृत्यु के पश्चात जमाबंदी में नामान्तकरण के जरिये बोदूराम के वारिसान उनके पुत्र नरेन्द्रकुमार, सुन्दरलाल एवं पुत्रियां गोरादेवी, सोनीदेवी, गुलादेवी, मृतक पुत्र लल्लूलाल के वारिसान एवं रामेश्वर का नाम खातेदार के रूप में दर्ज किया गया।

उक्त व्यक्तियों में श्री रामेश्वर लाल पुत्र बोदूराम वादिनी संख्या-1 पति तथा वादीगण के पिता थे।

उक्त श्री रामेश्वर लाल का वर्ष 1985 से कोई अता पता नहीं है और वे लापता है। वर्ष 1985 से आज तक गत 26 वर्षों में उक्त रामेश्वर लाल को किसी भी व्यक्ति ने जीवित अवस्था में नहीं देखा है। जिन व्यक्तियों को उसे जीवित अवस्था में देखने का अवसर या जानकारी हो सकती थी यथा वादीगण जो कि परिवार के सदस्य है, ने उक्त 26 वर्ष की अवधि में कभी भी कहीं भी उक्त श्री रामेश्वर लाल को न तो जीवित अवस्था में देखा और न ही उनके जीवित हासेने के बारे में कभी किसी से सुना।

यह एक ऐसी निश्चित अवधारणा को जन्म देती है कि उक्त श्री रामेश्वर लाल का देहान्त हो चुका है।

वादिनी संख्या-1 के ससुर तथा शेष वादीगण के दादा श्री बोदूराम का देहावसान होने पर उनके खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर जिसका वर्णन पहले

उपखण्ड  
घौं, जिला जयपुर

किया गया है, का नामान्तकरण उक्त बोदूराम मृतक पुत्र लल्लूराम के वारिसान, बोदूराम के पुत्र सुन्दरलाल, बोदूराम के पुत्र नरेन्द्र, उनकी पुत्रियों गोरादेवी, सोनी देवी, गुलाब देवी एवं उक्त बोदूराम के पुत्र रामेश्वर लाल (जो कि गत 28 वर्षों से लापता है) के नाम नामान्तकरण खोला जाकर जमावंदी में इन्द्राज कर दिया गया है। जिराकी वादीगण को कोई जानकारी नहीं हुई। जबकि उक्त रामेश्वर लाल न तो उक्त कृषि भूमि पर कायिज है और न ही किसी अन्य प्रकार से उपयोग एवं प्रयोग में लिया। उक्त कृषि भूमि में रामेश्वर लाल के हिस्से की भूमि को वादीगण ही काम में लेते आ रहे हैं। परन्तु उक्त नामान्तकरण रामेश्वरलाल के हक में लगत रूप से कर दिया गया।

वादीगण को किसी ने यह बताया कि उक्त खसरा नम्बर के संबंध में नामान्तकरण उक्त रामेश्वर लाल के नाम हो गया है। इस पर उन्होंने जमावंदी की नकले दिनांक 22.04.2011 एवं 23.04.2011 को प्राप्त की जिससे यह निश्चित रूप से ज्ञात हुआ कि उक्त मृतक रामेश्वर लाल के नाम नामान्तकरण खोला जाकर जमावंदी इन्द्राज कर दिया गया है। ऐसी सूरत में वादीगण का उक्त कृषि भूमि ग्राम मोरीजा पटवार हल्का मोरीजा ए इन्सपेक्टर लेण्ड रिकार्ड हल्का चौमू के खसरा नम्बर 775 रकवा 1.49 हैक्टर, ख. नं. 776 रकबा 0.75 है०, जिसमें वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 1/3 था एवं अब सजरा के मुताबिक वादीगण का हिस्सा 1/21 है, उक्त ग्राम मोरीजा का ही ख. नं. 764/2 रकबा 2.11 है०, ख. नं. 770 रकवा 0.38 है०, एवं ख. नं. 772/2 रकबा 0.82 है० जिसमें वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 1/6 था एवं वादीगण का हिस्सा 1/42 है। ग्राम चौमू पटवार हल्का चौमू वी इन्सपेक्टर लेण्ड रिकार्ड चौमू के ख. नं. 7040 रकबा 0.32 है० एवं ख. नं. 7041 रकबा 0.66 है० में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था वादीगण का हिस्सा 1/42 है एवं उक्त ग्राम चौमू के ही खसरा नम्बर 7044 रकबा 0.12 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 7075 रकबा 0.14 में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था जिसमें वादीगण का हिस्सा 1/42 है तथा उक्त ग्राम चौमू के ही खसरा नम्बर 6998 रकबा 0.13 हैक्टर में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, वादीगण का हिस्सा 1/42 है। खसरा नम्बर 7000 रकबा 0.05 हैक्टर में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, वादीगण का हिस्सा 1/42 है। खसरा नम्बर 7013 रकबा 0.27 हैक्टर में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, वादीगण का हिस्सा 1/42 है। खसरा नम्बर 7015 रकबा 0.11 है० में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42, वादीगण का हिस्सा 1/42 है। खसरा नम्बर 7016 रकबा 0.09 है० में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, वादीगण का हिस्सा 1/42 है। खसरा नम्बर 7017 रकबा 0.08 है० में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, वादीगण का हिस्सा 1/42 है। खसरा नम्बर 7018 रकबा 0.05 है० में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, वादीगण का हिस्सा 1/42 है। खसरा नम्बर 7019 रकबा 0.18 है० में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, वादीगण का हिस्सा 1/42 है। खसरा नम्बर 7020 रकबा 0.25 है० में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, वादीगण का हिस्सा 1/42 है। खसरा नम्बर 7021 रकबा 0.53 है० में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, वादीगण का हिस्सा 1/42 है। खसरा नम्बर 7024 रकबा 0.11 है० में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, वादीगण का हिस्सा 1/42 है। खसरा नम्बर 7025 रकबा 0.01 है० में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, वादीगण का हिस्सा 1/42 है। खसरा नम्बर 7026 रकबा 0.30 है० में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था,

उपखण्ड अभिकारी  
चौमू, जिला जयपुर

वादीगण का हिस्सा 1/42 है। खसरा नम्बर 7031/7968 रकबा 0.08 है 0 में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, वादीगण का हिस्सा 1/42 है। खसरा नम्बर 7032 रकबा 0.45 है 0 में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 1/42 है। खसरा नम्बर 7175 रकबा 0.19 है 0 में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, वादीगण का हिस्सा 1/42 है। खसरा नम्बर 7176 रकबा 0.31 है 0 में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, वादीगण का हिस्सा 1/42 है। खसरा नम्बर 7187 रकबा 0.14 है 0 में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, वादीगण का हिस्सा 1/42 है। खसरा नम्बर 77187/7334 रकबा 0.68 है 0 में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, वादीगण का हिस्सा 1/42 है। खसरा नम्बर 7188 रकबा 0.12 है 0 में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, वादीगण का हिस्सा 1/42 है। खसरा नम्बर 7189 रकबा 0.20 है 0 में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, वादीगण का हिस्सा 1/42 है। इस बात की घोषणा कराये जाने का वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ था।

कोई व्यक्ति उक्त रामेश्वर लाल बनकर उक्त भूमि को विक्रय कर सकता है यह वादीगण को एक युक्तियुक्त भय उत्पन्न हो गया है, अतः वादीगण स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है कि सब रजिस्ट्रार, चौमू को पाबन्द किया जाये कि वह उक्त खसरा नम्बरान के संबंध में रामेश्वरलाल की ओर से कोई रहन, बय, वखशीश या अन्य किसी प्रकार भी मुन्तकिल किये जाने के संबंध में किसी दस्तावेज को पंजीकृत न करें।

धारा 80 सीसीपी के अधीन प्रतिवादीगण को नोटिस दिये जाने पर वादीगण का वाद करना ही निष्फल हो जायेगा, अतः धारा 80 सीसीपी का नोटिस दिये विना वाद की सुनवाई करने का कष्ट करें जिसके संबंध में अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रतिवादी संख्या-1 तहसीलदार, चौमू को पाबन्द किया जाये कि वह आराजी ग्राम मोरीजा पटवार हल्का मोरीजा ए इन्सपेक्टर लेण्ड रिकार्ड हल्का चौमू के खसरा नम्बर 775 रकबा 1.49 हैक्टर, ख. नं. 776 रकबा 0.75 है 0, जिसमें वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 1/3 था एवं अब सजरा के मुताबिक वादीगण का हिस्सा 1/21 है, उक्त ग्राम मोरीजा का ही ख. नं. 764/2 रकबा 2.11 है 0, ख. नं. 770 रकबा 0.38 है 0, एवं ख. नं. 772/2 रकबा 0.82 है 0 जिसमें वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 1/6 था एवं वादीगण का हिस्सा 1/42 है। ग्राम चौमू पटवार हल्का चौमू बी इन्सपेक्टर लेण्ड रिकॉर्ड चौमू के ख. नं. 7040 रकबा 0.32 है 0 एवं ख. नं. 7041 रकबा 0.66 है 0 में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था वादीगण का हिस्सा 1/42 है एवं उक्त ग्राम चौमू के ही खसरा नम्बर 7044 रकबा 0.12 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 7075 रकबा 0.14 में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था जिसमें वादीगण का हिस्सा 1/42 है तथा उक्त ग्राम चौमू के ही खसरा नम्बर 6998 रकबा 0.13 हैक्टर में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, वादीगण का हिस्सा 1/42 है। खसरा नम्बर 7000 रकबा 0.05 हैक्टर में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, वादीगण का हिस्सा 1/42 है। खसरा नम्बर 7013 रकबा 0.27 हैक्टर में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, वादीगण का हिस्सा 1/42 है। खसरा नम्बर 7015 रकबा 0.11 है 0 में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42, वादीगण का हिस्सा 1/42 है। खसरा नम्बर 7016 रकबा 0.09 है 0 में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था,

उपखण्ड <sup>4</sup> ~~सिटी~~ कारी  
चौमू जिला जयपुर

वादीगण का हिस्सा 1/42 है। खसरा नम्बर 7017 रकबा 0.08 है0 में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, वादीगण का हिस्सा 1/42 है। खसरा नम्बर 7018 रकबा 0.05 है0 में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, वादीगण का हिस्सा 1/42 है। खसरा नम्बर 7019 रकबा 0.18 है0 में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, वादीगण का हिस्सा 1/42 है। खसरा नम्बर 7020 रकबा 0.25 है0 में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, वादीगण का हिस्सा 1/42 है। खसरा नम्बर 7021 रकबा 0.53 है0 में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, वादीगण का हिस्सा 1/42 है। खसरा नम्बर 7024 रकबा 0.11 है0 में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, वादीगण का हिस्सा 1/42 है। खसरा नम्बर 7025 रकबा 0.01 है0 में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, वादीगण का हिस्सा 1/42 है। खसरा नम्बर 7026 रकबा 0.30 है0 में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, वादीगण का हिस्सा 1/42 है। खसरा नम्बर 7031/7968 रकबा 0.08 है0 में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, वादीगण का हिस्सा 1/42 है। खसरा नम्बर 7032 रकबा 0.45 है0 में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, वादीगण का हिस्सा 1/42 है। खसरा नम्बर 7175 रकबा 0.19 है0 में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, वादीगण का हिस्सा 1/42 है। खसरा नम्बर 7176 रकबा 0.31 है0 में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, वादीगण का हिस्सा 1/42 है। खसरा नम्बर 7187 रकबा 0.14 है0 में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, वादीगण का हिस्सा 1/42 है। खसरा नम्बर 7787/7334 रकबा 0.16 है0 में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, वादीगण का हिस्सा 1/42 है। खसरा नम्बर 7188 रकबा 0.12 है0 में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, वादीगण का हिस्सा 1/42 है। खसरा नम्बर 7189 रकबा 0.20 है0 में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, वादीगण का हिस्सा 1/42 है। से संबंधित भू अभिलेख रामेश्वर लाल पुत्र बोदूराम जाति अहीर निवासी भोमाला की ढाणी, दौलत शाह बाबा के सामने जयपुर रोड, चौमू जिला जयपुर का नाम हजफ कर वादीगण का नाम बतौर खातेदार दर्ज करें एवं यह घोषणा भी की जाये कि वादीगण उक्त कृषि भूमि के उपरोक्तानुसार खातेदार कृषक है।

प्रतिवादी संख्या-2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाये कि वह उक्त आराजी ग्राम ग्राम गाम मोरीजा टवार हल्का मोरीजा ए इन्सपेक्टर लेण्ड रिकार्ड हल्का चौमू के खसरा नम्बर 775 रकबा 1.49 हैक्टसर, ख. नं. 776 रकबा 0.75 है0, जिसमें वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 1/3 था एवं अब सजरा के मुताबिक वादीगण का हिस्सा 1/21 है, उक्त ग्राम मोरीजा का ही ख. नं. 764/2 रकबा 2.11 है0, ख. नं. 770 रकबा 0.38 है0, एवं ख. नं. 772/2 रकबा 0.82 है0 जिसमें वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 1/6 था एवं वादीगण का हिस्सा 1/42 है। ग्राम चौमू पटवार हल्का चौमू बी इन्सपेक्टर लेण्ड रिकॉर्ड चौमू के ख. नं. 7040 रकबा 0.32 है0 एवं ख. नं. 7041 रकबा 0.66 है0 में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था वादीगण का हिस्सा 1/42 है एवं उक्त ग्राम चौमू के ही खसरा नम्बर 7044 रकबा 0.12 हैक्टयर एवं खसरा नम्बर 7075 रकबा 0.14 में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था जिसमें वादीगण का हिस्सा 1/42 है तथा उक्त ग्राम चौमू के ही खसरा नम्बर 6998 रकबा 0.13 हैक्टयर में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, वादीगण का हिस्सा 1/42 है। खसरा नम्बर 7000 रकबा 0.05 हैक्टयर में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का

उपखण्ड  
चौमू जिला जयपुर

हिस्सा 7/42 था, वादीगण का हिस्सा 1/42 है। खसरा नम्बर 7013 रकबा 0.27 है। खसरा नम्बर 7015 रकबा 0.11 है 0 में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, वादीगण का हिस्सा 1/42 है। खसरा नम्बर 7016 रकबा 0.09 है 0 में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, वादीगण का हिस्सा 1/42 है। खसरा नम्बर 7017 रकबा 0.08 है 0 में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, वादीगण का हिस्सा 1/42 है। खसरा नम्बर 7018 रकबा 0.05 है 0 में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, वादीगण का हिस्सा 1/42 है। खसरा नम्बर 7019 रकबा 0.18 है 0 में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, वादीगण का हिस्सा 1/42 है। खसरा नम्बर 7020 रकबा 0.25 है 0 में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, वादीगण का हिस्सा 1/42 है। खसरा नम्बर 7021 रकबा 0.53 है 0 में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, वादीगण का हिस्सा 1/42 है। खसरा नम्बर 7024 रकबा 0.11 है 0 में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, वादीगण का हिस्सा 1/42 है। खसरा नम्बर 7025 रकबा 0.01 है 0 में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, वादीगण का हिस्सा 1/42 है। खसरा नम्बर 7026 रकबा 0.30 है 0 में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, वादीगण का हिस्सा 1/42 है। खसरा नम्बर 7031/7968 रकबा 0.08 है 0 में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, वादीगण का हिस्सा 1/42 है। खसरा नम्बर 7032 रकबा 0.45 है 0 में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, वादीगण का हिस्सा 1/42 है। खसरा नम्बर 7175 रकबा 0.19 है 0 में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, वादीगण का हिस्सा 1/42 है। खसरा नम्बर 7176 रकबा 0.31 है 0 में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, वादीगण का हिस्सा 1/42 है। खसरा नम्बर 7187 रकबा 0.14 है 0 में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, वादीगण का हिस्सा 1/42 है। खसरा नम्बर 7787/7334 रकबा 0.16 है 0 में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, वादीगण का हिस्सा 1/42 है। खसरा नम्बर 7188 रकबा 0.12 है 0 में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, वादीगण का हिस्सा 1/42 है। खसरा नम्बर 7189 रकबा 0.20 है 0 में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, वादीगण का हिस्सा 1/42 है के संबंध में रामेश्वर लाल के नाम उक्त कृषि भूमि को रहन, बय, बख्शीश आदि किसी प्रकार भी दस्तावेज को पंजीकृत न करें। अन्य अनुतोष जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाया जाए।

वादीगण का वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादीगण की तामिल हो चुकी है। वादीगण श्री सुरेश कुमार यादव, श्रीमति कविता यादव, तोफान सिंह, व कमली देवी द्वारा शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी का पेश किया गया कि ग्राम मोरीजा पटवार हल्का मोरीजा ए इन्सपेक्टर लेण्ड रिकार्ड हल्का चौमू के खसरा नम्बर 775 रकबा 1.49 हैक्टर, ख. नं. 776 रकबा 0.75 है 0, जिसमें वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 1/3 था एवं अब सजरा के मुताबिक वादीगण का हिस्सा 1/21 है, उक्त ग्राम मोरीजा का ही ख. नं. 764/2 रकबा 2.11 है 0, ख. नं. 770 रकबा 0.38 है 0, एवं ख. नं. 772/2 रकबा 0.82 है 0 जिसमें वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 1/6 था एवं वादीगण का हिस्सा 1/42 है। ग्राम चौमू पटवार हल्का चौमू बी इन्सपेक्टर लेण्ड रिकॉर्ड चौमू के ख. नं. 7040 रकबा 0.32 है 0 एवं ख. नं. 7041 रकबा 0.66 है 0 में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का

उपखण्ड अधिकारी  
चौमू, जिला जयपुर

हिस्सा 7/42 था वादीगण का हिस्सा 1/42 है एवं उक्त ग्राम चौमू के ही खसरा नम्बर 7044 रकबा 0.12 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 7075 रकबा 0.14 में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था जिसमें वादीगण का हिस्सा 1/42 है तथा उक्त ग्राम चौमू के ही खसरा नम्बर 6998 रकबा 0.13 हैक्टर में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, वादीगण का हिस्सा 1/42 है। खसरा नम्बर 7000 रकबा 0.05 हैक्टर में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, वादीगण का हिस्सा 1/42 है। खसरा नम्बर 7013 रकबा 0.27 हैक्टर में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, वादीगण का हिस्सा 1/42 है। खसरा नम्बर 7015 रकबा 0.11 है 0 में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42, वादीगण का हिस्सा 1/42 है। खसरा नम्बर 7016 रकबा 0.09 है 0 में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, वादीगण का हिस्सा 1/42 है। खसरा नम्बर 7017 रकबा 0.08 है 0 में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, वादीगण का हिस्सा 1/42 है। खसरा नम्बर 7018 रकबा 0.05 है 0 में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, वादीगण का हिस्सा 1/42 है। खसरा नम्बर 7019 रकबा 0.18 है 0 में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, वादीगण का हिस्सा 1/42 है। खसरा नम्बर 7020 रकबा 0.25 है 0 में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, वादीगण का हिस्सा 1/42 है। खसरा नम्बर 7021 रकबा 0.53 है 0 में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, वादीगण का हिस्सा 1/42 है। खसरा नम्बर 7024 रकबा 0.11 है 0 में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, वादीगण का हिस्सा 1/42 है। खसरा नम्बर 7025 रकबा 0.01 है 0 में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, वादीगण का हिस्सा 1/42 है। खसरा नम्बर 7026 रकबा 0.30 है 0 में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, वादीगण का हिस्सा 1/42 है। खसरा नम्बर 7031/7968 रकबा 0.08 है 0 में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, वादीगण का हिस्सा 1/42 है। खसरा नम्बर 7032 रकबा 0.45 है 0 में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, वादीगण का हिस्सा 1/42 है। खसरा नम्बर 7175 रकबा 0.19 है 0 में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, वादीगण का हिस्सा 1/42 है। खसरा नम्बर 7176 रकबा 0.31 है 0 में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, वादीगण का हिस्सा 1/42 है। खसरा नम्बर 7187 रकबा 0.14 है 0 में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, वादीगण का हिस्सा 1/42 है। खसरा नम्बर 7787/7334 रकबा 0.16 है 0 में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, वादीगण का हिस्सा 1/42 है। खसरा नम्बर 7188 रकबा 0.12 है 0 में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, वादीगण का हिस्सा 1/42 है। खसरा नम्बर 7189 रकबा 0.20 है 0 में वादीगण के पूर्वज बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, वादीगण का हिस्सा 1/42 है। जो दर्ज रिकार्ड है। वादीया संख्या-1 के दादेर ससुर तथा वादीगण संख्या 2 ता 4 के दाता बोदूराम के जीवनकाल में ही वर्ष 1985 के दौरान वादीया संख्या-1 के पति तथा हम वादीगण संख्या 2 ता 4 के पिता रामेश्वर पुत्र बोदूराम कं गुम हो जाने व दावा दायरी तक उनका कोई अता-पता नहीं चलने अथवा उनके जीवित या मृत होने का कोई प्रमाण नहीं होने के बावजूद बाद इन्तकाल बोदूराम उनके उक्त खातेदारी भूमियों में निहित हिस्से की खातेदारी जरिये फौती नामान्तकरण अन्य विधिक वारिसान के साथ-साथ वादीया संख्या 1 के पति व वादीगण संख्या 2 ता 4 के पिता रामेश्वर पुत्र बादूराम के विधिक वारिसान वादीया संख्या 1 के पति व वादीगण संख्या 2 ता 4 द्वारा राजस्व जमाबन्दी की नकल आदि प्राप्त कर

उपखण्ड अलि तारी  
चौमू जिला जयपुर

उक्त दावा पेश कर रामेश्वर पुत्र बोदूराम के नाम खोली गई खातेदारी, खातेदार रामेश्वर पुत्र बोदूराम का विगत 25 वर्षों से कोई अता-पता नहीं होने के कारण उसी मृत मान लिये जाने की रांगावना के आधार पर वादीया संख्या 1 व वादीगण संख्या 2 ता 4 के नाम खोला जाए तथा प्रतिवादीगण को जरिये रथाई निपेधाज्ञा पावनन्द फरमाये जावे कि रामेश्वर पुत्र बोदूराम के नाम उक्त कृषि भूमि को रहन, वय, बख्शीश आदि किए जाने बावत् किसी भी दरतावेज को पंजीकृत नहीं जाए। वाद हाजा वादीगण के हित में निर्णित नहीं फरमाए जाने की स्थिति में वादीगण जो मृतक खातेदार बोदूराम के विधिक वारिस रामेश्वर, जो विगत 25 वर्षों से भी अधिक समय से लापता होने से जिसके जीवित होने का कोई प्रमाण नहीं होने के आधार पर उसके जीवित वारिसान के नाम खोला जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। स्वतंत्रत राक्ष्य श्री अर्जुन लाल यादव पुत्र श्री बादूराम यादव व शिव नारायण यादव पुत्र श्री कालूराम यादव, रामस्त जाति अहीर निवासीयान भोमाका की ढाणी, दौलत शाह बाबा के सामने जयपुर रोड, कस्बा चौमू, तहसील चौमू जिला जयपुर द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम मोरीजा, तहसील चौमू जिला जयपुर स्थित आराजियात खसरा नम्बर 775 रकबा 1.49 हैक्टसर, ख. नं. 776 रकबा 0.75 है0, किता 2 कुल रकबा 2.24 है0 में वादीगण के दादा बोदूराम का हिस्सा 1/3 था जिनके वारिसान में वादीगण के पिता रामेश्वर पुत्र बोदूराम का तनहा हिस्सा 1/21 है, व ख. नं. 764/2 रकबा 2.11 है0, ख. नं. 770 रकबा 0.38 है0, ख. नं. 772/2 रकबा 0.82 है0 किता 3 कुल रकबा 3.31 है0 में बोदूराम का हिस्सा 1/6 था जिनके वारिसान में रामेश्वर पुत्र बोदूराम का तनहा हिस्सा 1/42 भाग निहित रहा व ख. नं. 7040 रकबा 0.32 है0 एवं ख. नं. 7041 रकबा 0.66 है0 किता 2 रकबा 0.98 है0 बोदूराम का हिस्सा 7/42 था जिनके वारिसान में रामेश्वर पुत्र बोदूराम का तनहा हिस्सा 1/42 भाग निहित रहा तथा खसरा नम्बर 6998 रकबा 0.13 है0, में बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, जिनके वारिसान में रामेश्वर पुत्र बोदूराम का तनहा हिस्सा 1/42 भाग निहित रहा तथा खसरा नम्बर 7000 रकबा 0.05 हैक्टसर में बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, जिनके वारिसान में रामेश्वर पुत्र बोदूराम का तनहा हिस्सा 1/42 भाग निहित रहा तथा खसरा नम्बर 7013 रकबा 0.27 हैक्टसर में बोदूराम का हिस्सा 7/42 था जिनके वारिसान में रामेश्वर पुत्र बोदूराम का तनहा हिस्सा 1/42 भाग निहित रहा तथा खसरा नम्बर 7015 रकबा 0.11 है0 में बोदूराम का हिस्सा 7/42, जिनके वारिसान में रामेश्वर पुत्र बोदूराम का तनहा हिस्सा 1/42 भाग निहित रहा, खसरा नम्बर 7016 रकबा 0.09 है0 में बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, जिनके वारिसान में रामेश्वर पुत्र बोदूराम का तनहा हिस्सा 1/42 भाग निहित रहा, खसरा नम्बर 7017 रकबा 0.08 है0 में बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, जिनके वारिसान में रामेश्वर पुत्र बोदूराम का तनहा हिस्सा 1/42 भाग निहित रहा तथा खसरा नम्बर 7018 रकबा 0.05 है0 में बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, जिनके वारिसान में रामेश्वर पुत्र बोदूराम का तनहा हिस्सा 1/42 भाग निहित रहा, खसरा नम्बर 7019 रकबा 0.18 है0 में बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, जिनके वारिसान में रामेश्वर पुत्र बोदूराम का तनहा हिस्सा 1/42 भाग निहित रहा तथा खसरा नम्बर 7020 रकबा 0.25 है0 में बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, जिनके वारिसान में रामेश्वर पुत्र बोदूराम का तनहा हिस्सा 1/42 भाग निहित रहा, खसरा नम्बर 7021 रकबा 0.53 है0 में बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, जिनके वारिसान में रामेश्वर पुत्र बोदूराम का तनहा हिस्सा 1/42 भाग निहित रहा, खसरा नम्बर 7024 रकबा 0.11 है0 में बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, जिनके वारिसान में रामेश्वर पुत्र बोदूराम का तनहा हिस्सा 1/42 भाग निहित रहा,

उपखण्ड अधिकारी  
चौमू, जिला जयपुर

खसरा नम्बर 7025 रकबा 0.01 है0 में बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, जिनके वारिसान में रामेश्वर पुत्र बोदूराम का तनहा हिस्सा 1/42 भाग निहित रहा, खसरा नम्बर 7026 रकबा 0.30 है0 में बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, जिनके वारिसान में रामेश्वर पुत्र बोदूराम का तनहा हिस्सा 1/42 भाग निहित रहा, खसरा नम्बर 7031/7968 रकबा 0.08 है0 में बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, जिनके वारिसान में रामेश्वर पुत्र बोदूराम का तनहा हिस्सा 1/42 भाग निहित रहा, खसरा नम्बर 7032 रकबा 0.45 है0 में बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, जिनके वारिसान में रामेश्वर पुत्र बोदूराम का तनहा हिस्सा 1/42 भाग निहित रहा, खसरा नम्बर 7175 रकबा 0.19 है0 में बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, जिनके वारिसान में रामेश्वर पुत्र बोदूराम का तनहा हिस्सा 1/42 भाग निहित रहा, खसरा नम्बर 7176 रकबा 0.31 है0 में बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, जिनके वारिसान में रामेश्वर पुत्र बोदूराम का तनहा हिस्सा 1/42 भाग निहित रहा, खसरा नम्बर 7187 रकबा 0.14 है0 में का हिस्सा 7/42 था, जिनके वारिसान में रामेश्वर पुत्र बोदूराम का तनहा हिस्सा 1/42 भाग निहित रहा, खसरा नम्बर 7787/7334 रकबा 0.16 है0 में बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, जिनके वारिसान में रामेश्वर पुत्र बोदूराम का तनहा हिस्सा 1/42 भाग निहित रहा, खसरा नम्बर 7188 रकबा 0.12 है0 में बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, जिनके वारिसान में रामेश्वर पुत्र बोदूराम का तनहा हिस्सा 1/42 भाग निहित रहा, खसरा नम्बर 7189 रकबा 0.20 है0 में बोदूराम का हिस्सा 7/42 था, जिनके वारिसान में रामेश्वर पुत्र बोदूराम का तनहा हिस्सा 1/42 भाग निहित रहा है जो दर्ज रिकार्ड व जिसकी जानकारी है। बोदूराम जी के जीवनकाल में ही वर्ष 1985 के दौरान वादीगण के पति/पिता रामेश्वर पुत्र बोदूराम के गुम हो जाने व वादीगण के दावा दायरी तक उनका कोई अता-पता नहीं चलने अथवा उने जीवित या मृत होने का कोई प्रमाण नहीं होने के बावजूद उनके उक्त खातेदारी भूमियों में निहित हिस्से की खातेदारी जरिये फौती नामान्तरण अन्य विधिक वारिसान के साथ-साथ वादीगण के पति/पिता रामेश्वर पुत्र बोदूराम के नाम खोले जाने की जानकारी वादीगण को ज्ञात होन पर रामेश्वर पुत्र बोदूराम के विधिक वारिसान वादीगण द्वारा राजस्व जमाबन्दी की नकल आदि प्राप्त कर उक्त दावा न्यायालय में पेश कर रामेश्वर पुत्र बोदूराम के नाम खोली गई खातेदारी उसका लगभग 25 वर्षों से कोई अता-पता नहीं होने के कारण उसे मृत मान लेने की सम्भावना के आधार पर वादीगण का नाम खोले जाने हेतु किया गया जो सही है व न्याय हित में रामेश्वर पुत्र बोदूराम के वारिसान वादीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष स्वीकार किया जाना सही व उचित है।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की आरे से वाद पत्र का जवाब पेश किया है कि वाद पत्र का मद संख्या 1 मिन जवाबदाता से संबंधित नहीं है, वादी स्वयं साबित करें। वाद पत्र का मद संख्या 2 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 775 रकबा 1.49 हैक्टैयर, ख. नं. 776 रकबा 0.75 है0, मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड के वादीयान् के पिता रामेश्वर पुत्र बोदूराम हिस्सा 1/21 जाति अहीर सा.देह खातेदार के नाम दर्ज है। शेष हिस्सा अन्य खातेदारान् के नाम सहखातेदार के रूप में दर्ज है। इसी प्रकार आराजी ख. नं. 764/2 रकबा 1.22 है0, ख. नं. 770 रकबा 0.38 है0, ख. नं. 772/2 रकबा 0.72 है0 में वादीयान् के पिता रामेश्वर पुत्र बोदूराम हिस्सा 1/42 जाति अहीर सा0देह खातेदार के रूप में दर्ज रिकॉर्ड ह। कस्बा चौमू के ख. नं. 7040 रकबा 0.32 है0, ख. नं. 7041 रकबा 0.66 है0, कुल 2 का कुल करबा 0.98 है0 वादीगण के पिता रामेश्वर पुत्र बोदूराम हिस्सा 171/9800 जाति अहीर राहिन हिस्सा 11/2450 इंटीग्रल अरबन कॉ-आपरेटिव बैंक के नाम से है।

उपखण्ड  
चौमू, जिला जयपुर

करवा चौमू के खसरा नम्बर 7044 रकबा 0.12 है0, ख. नं. 7045 रकबा 0.14 है0 कुल कित्ता 2 का कुल करवा 0.26 है0 वादीगण के पिता रामेश्वर पुत्र बोदूराम हिस्सा 37/2600 जाति अहीर दर्ज है। करवा चौमू के ख. नं. 6998 रकबा 0.13 है0, ख. नं. 7000 रकबा 0.05 है0, ख. नं. 7013 रकबा 0.27 है0, ख. नं. 7015 रकबा 0.09 है0, ख. नं. 7017 रकबा 0.08 है0, ख. नं. 7018 रकबा 0.05 है0, ख. नं. 7019 रकबा 0.18 है0, ख. नं. 7024 रकबा 0.11 है0, ख. नं. 7025 रकबा 0.01 है0, ख. नं. 7026 रकबा 0.30 है0, ख. नं. 7031/7968 रकबा 0.08 है0, ख. नं. 7032 रकबा 0.45 है0, ख. नं. 7175 रकबा 0.19 है0, ख. नं. 7187 रकबा 0.14 है0, ख. नं. 7187/7334 रकबा 0.16 है0, ख. नं. 7188 रकबा 0.12 है0, ख. नं. 7189 रकबा 0.20 हैक्टैयर कुल कित्ता 18 का कुल रकबा 2.72 हैक्टैयर वादीगण के पिता रामेश्वर पुत्र बोदूराम हिस्सा 1/42 जाति अहीर के नाम दर्ज है। करवा चौमू के ख. नं. 7176 रकबा 0.31 हैक्टैयर वादीगण के पिता रामेश्वर पुत्र बोदमराम हिस्सा 284/16275 जाति अहीर दर्ज है। करवा चौमू के ख. नं. 7020 रकबा 0.25 है0, ख. नं. 7021 रकबा 0.53 है0, कुल कित्ता 2 का कुल रकबा 0.78 है0 में वादीगण के पिता रामेश्वर पुत्र बोदूराम हिस्सा 1/42 जाति अहीर के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। वाद पत्र का मद संख्या 3 में वर्णित तथा अस्वीकार है तत्कालीन खातेदार बोदूराम की मृत्यु के पश्चात् उसके वारिसान् के नाम दर्ज किया गया है, जो सही है। उक्त नामान्करण में वादीगण के पिता रामेश्वरलाल का भूमि पैतृक होने से नाम दर्ज किया गया है जो सही है। रामेश्वर लाल वर्तमान समय में जीवित अवस्था में है। इस कारण बोदमराम की मृत्यु के पश्चात् रामेश्वर लाल के वारिसान् के नाम दर्ज नहीं किया गया है। वाद पत्र का मद संख्या 4 वादीगण से संबंधित है जो स्वयं वादीगण साबित करें। मद संख्या 5 में वर्णित तथ्य की रामेश्वर लाल का देहान्त हो चुका है, मिन जवाबदाता की जानकारी के अनुसार अस्वीकार है। रामेश्वर लाल वर्तमान में जीवित हैं। मद संख्या 6 वादीगण से संबंधित हैं। मद संख्या 7 में वर्णित खसरा नम्बर 775 रकबा 1.49 हैक्टैयर, ख. नं. 776 रकबा 0.75 हैक्टैयर में वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार वादीगण के पिता रामेश्वरलाल पुत्र बोदूराम का हिस्सा 1/27 दर्ज है। जिसमें वादीगण का बराबर हिस्सा आता है। इसी प्रकार ख. नं. 764/2 रकबा 1.22 है0, ख. नं. 770 रकबा 0.38 है0, 772/2 रकबा 0.72 है0 में वादीगण के पिता रामेश्वरलाल का हिस्सा 1/42 भाग दर्ज हैं जिसमें करवा चौमू के ख. नं. 7040 रकबा 0.32 है0, ख. नं. 7041 रकबा 0.66 है0, कुल कित्ता 2 का कुल रकबा 0.98 है0 वादीगण के पिता रामेश्वर लाल पुत्र बोदूराम हिस्सा 171/9800 जाति अहीर राहिन हिस्सा 11/2450 इंटीग्रल अरबन कॉ-ऑपरेटिव बैंक के नाम से है। करवा चौमू के ख. नं. 7044 रकबा 0.12 है0, ख. नं. 7045 रकबा 0.14 है0, कुल कित्ता 2 का कुल रकबा 0.26 है0 वादीगण के पिता रामेश्वर लाल पुत्र बोदूराम हिस्सा 37/2600 जाति अहीर दर्ज है। करवा चौमू के ख. नं. 6998 रकबा 0.13 है0, ख. नं. 7000 रकबा 0.05 है0, ख. नं. 7013 रकबा 0.27 है0, ख. नं. 7015 रकबा 0.09 है0, ख. नं. 7017 रकबा 0.08 है0, ख. नं. 7018 रकबा 0.05 है0, ख. नं. 7019 रकबा 0.18 है0, ख. नं. 7024 रकबा 0.11 है0, ख. नं. 7025 रकबा 0.01 है0, ख. नं. 7026 रकबा 0.30 है0, ख. नं. 7031/7968 रकबा 0.08 है0, ख. नं. 7032 रकबा 0.45 है0, ख. नं. 7175 रकबा 0.19 है0, ख. नं. 7187 रकबा 0.14 है0, ख. नं. 7187/7334 रकबा 0.16 है0, ख. नं. 7188 रकबा 0.12 है0, ख. नं. 7189 रकबा 0.20 हैक्टैयर कुल कित्ता 18 का कुल रकबा 2.72 हैक्टैयर वादीगण के पिता रामेश्वर पुत्र बोदूराम हिस्सा 1/42 जाति अहीर के नाम दर्ज है। करवा चौमू के ख. नं. 7146 रकबा

उपखण्ड अधिकारी  
चौमू, जिला जयपुर

0.31 हे० वादीगण के पिता रामेश्वर पुत्र बोदूराम हिस्सा 284/16275 जाति अहीर दर्ज है। करवा चौमू के ख. नं. 7020 रकबा 0.25 हे०, ख. नं. 7021 रकबा 0.53 हे० कुल कित्ता 2 का कुल रकबा 0.78 हैक्टेयर वादीगण के पिता रामेश्वर पुत्र बोदूराम हिस्सा 1/42 जाति अहीर के नाम दर्ज रिकॉर्ड है।

बहस सुनी गई पत्रावली रिकार्ड पर मौजूद साक्ष्य का गहनता पूर्वक अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया। प्रकरण में न्यायालय के समय यह विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होता है कि आया वादग्रस्त सम्पत्ति वादीगण की पुश्तैनी है। जिससे वादीगण का जन्म से ही हक अधिकार निहित होने से वादीगण वादग्रस्त सम्पत्ति की खातेदारी की घोषणा करवाकर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है? या नहीं ?

वादीगण द्वारा वाद पत्र में सजरा खानदान वर्णित करते हुए वादग्रस्त कृषि भूमि स्व. बोदूराम की होना एवं बोदूराम पुत्र मांगू की मृत्यु पश्चात वादग्रस्त कृषि भूमि का फौती नामान्तकरण वादीगण ने पिता/पति रामेश्वर के खोला जाने का अभिवचन करते हुए साक्ष्यवादीगण में दरतावेज प्रदर्श 1 लगायत 7 दस्तावेज प्रदर्शित करवाये हैं तथा मौखिक साक्ष्य में गवाह 1 श्री अर्जुन लाल यादव पुत्र श्री बालूराम यादव, निवासी-भोमाका की ढाणी, दौलतशाह बाबा के सामने, जयपुर रोड चौमू तथा गवाह 2 श्री शिवनारायण यादव पुत्र श्री कालूराम यादव, -भोमाका की ढाणी, दौलतशाह बाबा के सामने, जयपुर रोड चौमू एवं वादीगण 1 लगायत 4 की मौखिक साक्ष्य भी प्रस्तुत है। तहसीलदार चौमू प्रस्तुत जवाबदावे में भी वादग्रस्त सम्पत्ति को पूर्व में बोदूराम पुत्र मांगू की होना एवं उनकी मृत्यु पश्चात रामेश्वर पुत्र श्री बोदूराम के फौती नामान्तकरण खोला जाकर वादग्रस्त भूमि पर रामेश्वर के वारिसान का निरन्तर कब्जा काश्त उपयोग उपभोग माना है तथा रामेश्वर का कई वर्षों से यहा नहीं नौटना बताया है, जिस संबंध में तहसीलदार चौमू से मौका रिपोर्ट भी तलब की गई है। ऐसे में वादग्रस्त भूमि वादीगण 2 ता 4 की पुश्तैनी भूमि होना तथा उक्त वादीगण का वादग्रस्त भूमि में बाई बर्थ हक अधिकार निहित होकर मौके पर कब्जा काश्त होना दस्तावेज एवं मौखिक साक्ष्य से बखूबी साबित होता है।

उक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम मोरीजा तहसील चौमू के हाल खसरा नम्बर 775, 776 कुल कित्ता 2 का कुल रकबा 2.24 हैक्टेयर के खातेदार रामेश्वर पुत्र बोदूराम हिस्सा 1/21 भाग में से 3/4 भाग तथा खसरा नम्बर 764/2, 770, 772/2, कुल कित्ता 3 का कुल रकबा 2.32 हैक्टेयर के खातेदार रामेश्वर पुत्र बोदूराम का हिस्सा 1/42 भाग में से 3/4 भाग तथा वाके ग्राम चौमू के हाल खसरा नम्बर 7040, 7041 कुल कित्ता 2 का कुल रकबा 0.98 हैक्टेयर के खातेदार रामेश्वर पुत्र बोदूराम हिस्सा 171/9800 भाग में से 3/4 भाग

उपखण्ड अधिकारी  
चौमू जिला जयपुर



**अन्तिम डिग्री मुकदमा इन्दावाई**

(ओ 20 फ्लॉ 6 व 7 जाब्ता तीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी चौमू व  
अजलास संतोष करील आरएएस

1. श्रीमती कमली देवी पत्नी श्री रामेश्वर लाल
2. श्री सुरेश कुमार शकव पुत्र श्री रामेश्वर लाल
3. श्री तोफनसिंह पुत्र श्री रामेश्वर लाल
4. श्रीमती कविता शकव पत्नी श्री रामेश्वर लाल

रामरत जाति अहीर निवासीगान- भोगाला की ज़ापी, चौलत शाह बाबा के सामने  
जयपुर रोड, चौमू जिला जयपुर (राज.)।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जसिये तहसीलदादा, चौमू
2. सब रजिस्ट्रार, चौमू

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 एवं 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर :- 165/2011

ये मुकदमा आज वारते इनफिसाल कई रुबरू उभयपक्षकार हाजरी गिनजागिन मुददई रुबरू संतोष करील आरएएस गिनजागिन मुददायलह पेश होकर हुतग दिशा जाता है व डिग्री दी जाती है कि :- वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम मोरीजा तहसील चौमू के हाल खसरा नम्बर 775, 776 कुल कित्ता 2 का कुल रकबा 2.24 हैक्टेयर के खातेदार रामेश्वर पुत्र बोदुराम हिस्सा 1/21 भाग में से 3/4 भाग तथा खसरा नम्बर 764/2, 770, 772/2, कुल कित्ता 3 का कुल रकबा 2.32 हैक्टेयर के खातेदार रामेश्वर पुत्र बोदुराम का हिस्सा 1/42 भाग में से 3/4 भाग तथा वाके ग्राम चौमू के हाल खसरा नम्बर 7040, 7041 कुल कित्ता 2 का कुल रकबा 0.98 हैक्टेयर के खातेदार रामेश्वर पुत्र बोदुराम हिस्सा 171/9800 भाग में से 3/4 भाग तथा खसरा नम्बर 7044, 7045 कुल कित्ता 2 का कुल रकबा 0.26 हैक्टेयर के खातेदार रामेश्वर पुत्र बोदुराम के हिस्सा 37/2600 भाग में से 3/4 भाग का तथा खसरा नम्बर 6998, 7000, 7013, 7015 लगायत 7019, 7024 लगायत 7026, 7031/7968, 7032, 7175, 7187, 7187/7334, 7188, 7189 कुल कित्ता 18 का कुल रकबा 2.72 हैक्टेयर के खातेदार रामेश्वर पुत्र बोदुराम के हिस्सा 1/42 भाग में से 3/4 भाग का तथा खसरा नम्बर 7020, 7021 कुल कित्ता 2 का कुल रकबा 0.78 हैक्टेयर के खातेदार रामेश्वर पुत्र बोदुराम का हिस्सा 1/42 भाग में से 3/4 भाग तथा खसरा नम्बर 7176 रकबा 0.31 हैक्टेयर के खातेदार रामेश्वर पुत्र बोदुराम का हिस्सा 284/16275 भाग में से 3/4 भाग का वादीगण संख्या 2 ता 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष हिस्सा बदस्तूर रहे। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार चौमू को तहरीर जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी  
चौमू, जिला जयपुर

वसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 12.09.2019 को जारी किया  
गा।

मोहर

दस्तखत <sup>24</sup>  
उपखण्ड अधिकारी  
चौमू जिला जयपुर

मुदई	रूपये	पैसे	मुदाईला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	1		स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा	1		स्टाम्प वकालत नामा	0	
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान	2		मीजान	0	

नोट:- इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो  
या नहीं दर्ज करना चाहिए।

<sup>24</sup>  
उपखण्ड अधिकारी  
चौमू जिला जयपुर